पत्रांकः–07/न०वि०आ०/विधि–15/2018/ 170

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(आवास प्रभाग)

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांकः–04/01/19

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड की Cont. Case (Civil) No.-28 /18, बसन्त प्रसाद महतो बनाम झारखण्ड सरकार एवं Cont. Case (Civil) No.-29 /18, काशीनाथ महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार के मामले मे पारित न्यायादेश के आलोक में भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य योजना भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्य मद अन्तर्गत झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को कुल राशि रु० 3,64,04,830/– (तीन करोड़ चौसठ लाख चार हजार आठ सौ तीस रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–19 में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड की Cont. Case (Civil) No.-28 /18. बसन्त प्रसाद महतो बनाम झारखण्ड सरकार एवं Cont. Case (Civil) No.-29 /18, काशीनाथ महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार के मामले मे पारित न्यायादेश के आलोक में भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य योजना भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्य मद अन्तर्गत झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक–11, दिनांक–04.01.19 के आलोक में कुल राशि रु० 3,64,04,830/– (तीन करोड़ चौसठ लाख चार हजार आठ सौ तीस रुपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग) के मांग संख्या–57 अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2216–आवास, उप मुख्य शीर्ष–02–शहरी आवास, लघु शीर्ष–103–आवास बोर्डो को सहायता, उप शीर्ष–06–भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्य, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–78–पूंजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान विपत्र कोड–57S221602103060678 में उपबंधित राशि 4,00,00,000/– से विकलनीय होगी।
3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से किया जाएगा। वे राशि की निकासी कर झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पी०एल० खाता में हस्तांतरित करेंगे।
4. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्य के लिये किया जाएगा।
5. स्वीकृत राशि से भूमि का अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के दिशानिर्देश/नियमों से अच्छादित होगा।
6. विगत वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष (2016–17) में उक्त मद में निकासी की गई राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
1.	स्वी०सं०–296/08.02.2017	8,00,00,000/–	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा चालान संख्या–00004 दिनांक–15.06.2018 द्वारा समस्त राशि कोषागार में प्रत्यर्पित कर दी गई है।
2	स्वी०सं०–298/08.02.2017	12,50,00,000/–	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा चालान संख्या–00005 दिनांक–15.06.2018 द्वारा समस्त राशि कोषागार में प्रत्यर्पित कर दी गई है।

7. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।
8. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अंतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–07/न०वि०आ०/विधि–15/2018/ ......170......   राँची, दिनांक 24/01/19

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव, झारखंड/योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखंड, राँची/सचिव, नगर विकास एंव आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आतंरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एंव आवास विभाग, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/उपायुक्त, सरायकेला–खरसांवा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री कुणाल, आई.टी. विशेषज्ञ (विभागीय Websiteपर अपलोड करने हेतु)/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग(online आवंटन हेतु)/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।